राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(1) राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 06-10-2020

:आदेश:

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(6)न्याय/2018 दिनांक 18.05.20 द्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 06.08.18 की निरन्तरता में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005(2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं06) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में स्थित समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को अपने अपने न्याय क्षेत्र की सीमाओं के लिए बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया है

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.05.20 के द्वारा बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में कार्यरत लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को बाल न्यायालय से संबंधित विचाराधीन सभी प्रकरणों में भी राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/संयुक्त शासन सचिव, विधि।
8. समस्त जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार जयपुर।
10. निदेशक,अभियोजन विभाग शासन सचिवालय,जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

06/10/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि